

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

दिनांक 23/3/2005 आदेश शुद्धी की बात
 उपर्युक्त अधिकारी द्वारा के फा क्रमांक/राजप/2/05/263 दिनांक 10/3/05 की फालता में खेतदार
 कर्जोड पुत्र जगन्नाथ जाति नाई का हिस्सा 1/4
 का नाम रखते से खारिज कर दिया। लेकिन
 खारिज रखते हुए का हिस्सा 1/4 मिश्र खेतदार
 को देना था और कितना-कितना देना था उसमें
 नामांतरण में उल्लेख नहीं किया। जिसके
 सम्बन्ध में यह है मिश्र नाम निधानिया की खेतों की
 वन्दोवस्तु खाता संख्या 126 में ख.न. 610 रकबा
 17 बीघा 19 बिस्की में कीरवल पुत्र लूलाल, पत्नी
 पुत्र स्युनाथ, जगन्नाथ पुत्र स्युनाथ और गणेश
 पुत्र स्युनाथ जाति नाई हिस्सा वरावर सा.दे. दर्ज है।

म-2-
 उपर्युक्त
 छवड़ा जिला बाबा

- 1- यह है कि नामा.नं. 232 से पूर्व जगन्नाथ पुत्र स्युनाथ
 के खाता पर कर्जोड पुत्र जगन्नाथ का नाम ख.न.
 610 रकबा 17 बीघा 19 बिस्की में दर्ज कर दिया गया
- 2- यह है कि नामा.नं. 232 आर निधानिया के अनुसर
 कर्जोड पुत्र जगन्नाथ जाति नाई सा.दे.द द्वारा ख.नं.
 610 रकबा 17 बीघा 19 बिस्की में से 4 बीघा 10 बिस्की
 अपने हिस्से की भूमि का कूलाल पुत्र कीरवल जाति
 नाई को बेचकर किया गया। जबकि शर्मा द्वारा
 खेत के खाता पर हिस्से का बेचकर किया जाना था।
- 3- यह है कि वस्तु नामा.नं. संख्या 2033 से 2036 की
 तैयारी के समय ख.न. 610 रकबा 17 बीघा 19 बिस्की
 में से 4.10 बीघा का खाता संख्या 174 कूलाल
 पुत्र कीरवल जाति नाई सा.दे.द के नाम कमल कर

दिनांक 1 जो सही है लेकिन मूल खाता संख्या 156 में ख. नं. 610 रकमा 13 बीघा 09 बिस्वा में विडिता कर्जोड पुत्र जगन्नीधर हटने से 22 गांवा जो गलत है। विडिता द्वारा अपने हिस्से की क्षमता भूमि आवेदन कर दिया गया है।

5- यह है कि नामा. नं. 901 दुरस्ता सीमा के आदेशी कर्जोड [R/2K] 2948-50 दिनांक 6/12/2K से खाता नीरवल पुत्र सुलीलाल हि०/५ कल्याण भदन पुत्र गणेश, दारवा, बदरी पुत्रिया गणेश, केशरबाई देवा गणेश हि०/५ मोहनलाल सत्यनारायण पुत्र पन्नालाल केशरबाई देवा पन्नालाल हि०/५ कर्जोड पुत्र जगन्नीधर हि०/५ दर्ज करने का

उपस्थित अधिकारी
उपस्थित करने का आदेश उक्त।

यह है कि ख. नं. 610 रकमा 17.19 बीघा में अपने हिस्से की भूमि 4.10 बीघा का कर्जोड पुत्र जगन्नीधर द्वारा बेची कर ले से शेष भूमि 13.09 बीघा में कर्जोड के खाते पर वर्तमान जगन्नीधर में कर्जोड के हिस्सा 1/५ नामा. नं. 901 से दर्ज खाते दारवा को दिया जाना उचित होगा।

उक्त: जगन्नीधर सन्तत 2074-2077
रकम सं. 142 के ख. नं. 610/५ रकमा 13.09 बीघा बिस्वा माल
2 भूमि में खातेदार का हिस्सा नाबू, रामबिशन -
राम कर्जोड, रामकर्मण पुत्र नीरवल, सुभाषी, सतरा पुत्रिया
कीरवल, पानबाई देवा कीरवल हि० 89/807, मोहनलाल
पुत्र पन्नालाल हि०/५, सत्यनारायण पुत्र पन्नालाल
हि० 5/12, कल्याण, भदन पुत्र गणेश, दारवा, बदरी पुत्रिया

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ


गणेश, केशरनाई बेका गणेश दि० 1/12 जाति नाई -
जमनालाल पुत्र विरधीलाल दि० 20/269 जाति धोबी
नंदकिशोर पुत्र जगन्नाथ दि० 40/269 जाति ब्राह्मण
साकिन देव श्वता दुरस्त करने का आदेश प्रमाण।

इसमें पत्रोपली का अवलोकन किया तथा
सालान दस्तवेज एवं तहसीलदार दफ्तर की रिपोर्ट
का अवलोकन करने पर यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10/3/05 से
श्वते दार कजौड पुत्र जगन्नाथ जाति नाई का हिस्सा 1/4
श्वते से स्वामे से श्वरिज पर दिया तो श्वरिज
श्वते दार का हिस्सा 1/4 किसमे व कितना - कितना
देना या जिसका नामांतरण में दर्ज होना से यह
गभीर नामांतरण में उल्लेख नहीं किया गया। जिससे
सम्पूर्ण श्वता में हिस्सा गलत दर्ज होगया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला

तहसीलदार दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक
ख.न. 610 खंका 1719 बीघा में से कजौड पुत्र जगन्नाथ
द्वारा खंका 410 बीघा खेयात करने से शेष भूमि
13.09 बीघा में कजौड के स्थान पर वर्तमान जमानदी
में कजौड के हिस्सा 1/4 नामा. नं० 301 से दर्ज श्वतेदारान
को दिया जाता है उचित समझते हैं।

अतः जमानदी खं० 2074-2077 श्वता छेल्का
142 के खंन. 610/2 खंका 13.09 बीघा किसका नाम
भूमि में श्वते दारान का हिस्सा कबू, शमकिशन,
शमखरुफ, राधेश्याम पुत्र वीरवल, सुम्हारी, संतरा
पुत्रिया वीरवल, पाना नाई बेका वीरवल दि० 89/807
मोहन लाल पुत्र पन्नालाल दि० 1/6, सत्यनारायण पुत्र
पन्नालाल दि० 1/12, कल्याण मदन पुत्र गणेश
दारवा, बदरी, पुत्रिया गणेश, केशरनाई बेका गणेश

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध स
	<p> दि० 1/12 जाति लई, जगत लाल पुत्र विहारी लाल दि० 20/269 जाति बोकी, नंदकिशोर पुत्र जगदीश दि० 40/269 जाति ब्राह्मण स. देह के नाम दर्ज करने हेतु तहसील दार इकाई को आदेश दिये जाते हैं। ननु सार पालना सुनिश्चित की जावे। निजी के। प्रति तहसील दार इकाई को भेजी जावे। पत्रवली मेशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निजी लिखी जाकर सरे इज्जत सुनी गयी। </p> <p style="text-align: right;">  (अनीषा तिवारी), उपखण्ड अधिकारी छवटा बिला बरौ (सुपरी) इकाई जिला - बरौ </p>	